बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक- सितम्बर, 2014

संख्या-18/लो0से0अ0-02-04/2014सा0प्र0----------/बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 04, 2011) की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना संख्या-08/लो0से0अ0-02-16/2013सा0-19431 दिनांक 23.12.2013 के परिशिष्ट-1 के क्रमांक 7 के कॉलम 4 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "60 कार्यदिवस" को शब्द एवं अंक "30 कार्यदिवस" द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(आर0 लक्ष्मणन)
सरकार के अपर सचिव

अधिसूचना

दिनांक- सितम्बर, 2014

संख्या-18/लो0से0अ0-02-04/2014सा0प्र0----------/अधिसूचना संख्या----------/ दिनांक----------/ का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

Government of Bihar
General Administration Department

Patna, dated- September, 2014

No.-18/L.S.A.-02-04/2014GAD----------/In exercise of power conferred under section-3 of the Bihar Right to Public Services Act, 2011(Bihar Act 04, 2011) the State Government is hereby please to substitute the words and figures "60 working days" used in column 4 of serial No.7 of Appendix-1 of Notification No. 08/L.S.A.-02-16/2013-GAD-19431 dated 23.12.2013 by the words and figures " 30 working days" with immediate effect.

By order of the Governor of Bihar,

ह0/-
Additional Secretary to Government.

ज्ञापांक-18/लो0से0अ0-02-04/2014सा0प्र0----------/पटना 15, दिनांक सितम्बर, 2014

प्रतिलिपिः-प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/लो0से0अ0-02-04/2014सा0प्र0-12247----------/पटना 15, दिनांक 3 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपिः-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2.9.14.
सरकार के अपर सचिव।